

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 257 / 2025 (जी.सी.एम.एस. 2025 / 366)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

तारीख रजु:- 25.07.2025

उपस्थित: 1. श्री कृष्ण कुमार परुथी अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 21.11.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/37 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 4.225 हैक्टेयर भूमि में से 2.112 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 89/84 के मुरब्बा नम्बर 112 की कुल 2.303 हैक्टेयर भूमि में से 1.151 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातो में वादी का नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/37 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 4.225 हैक्टेयर भूमि में से 2.112 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भूअ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 89/84 के मुरब्बा नम्बर 112 की कुल 2.303 हैक्टेयर भूमि में से 1.151 हैक्टेयर भूमि में वादी के अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह के स्थान पर जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 3173 दिनांक 12.11.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह को जगसीर सिंह के नाम से पहचाना जाता है।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रश्नों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/37 की प्रति, राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 89/84 की प्रति, राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 36/32 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/37 व राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 89/84 में अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह के स्थान पर जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति में नाम जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 48 जीजी श्रीनगर के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार जगसीर सिंह उर्फ जसवीर सिंह गांव 48 जीजी का रहने वाला है। जिसका वास्तविक नाम जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह है। लेकिन जमाबन्दी में नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह गलती से दर्ज हो गया है। जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह को जगसीर सिंह के नाम से पहचाना जाता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, सरपंच ग्राम पंचायत 48 जीजी श्रीनगर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

---आदेशः---

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/37 व राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 89/84 में अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह के स्थान पर जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ़्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवार उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जा चुका है।  
सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवार उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।		2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 257/2025

निर्णय दिनांक :-21.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परुथी उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 43/37 व राजस्व ग्राम 40 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 89/84 में अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र कर्म सिंह के स्थान पर जसवीर सिंह उर्फ जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 21.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दिनांक: 21.11.2025

क्रमांक: रीडर/2025/857

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दिनांक: 21.11.2025